<u>न्यायालय- अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), ललितपुर।</u>

<u>सरकार बनाम अंकित उर्फ डग्गी राजा आदि</u>
<u>विविध वाद संख्या 649/2023</u>

<u>अ०सं० 64/2022</u>
<u>अन्तर्गत धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि०,</u>
<u>थाना कोतवाली ललितपुर।</u>

12.01.2026

विवेचक द्वारा बाद विवेचना वादी/साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं., हस्व अनुमोदनशुदा गैंगचार्ट व अन्य प्रलेखनीय साक्ष्य के आधार पर अ०सं० 64/2022 अन्तर्गत धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि०, थाना कोतवाली ललितपुर में अभियुक्तगण 1. अंकित उर्फ डग्गी राजा(गैंग लीडर), 2. प्रभान(गैंग सदस्य) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि० के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) को प्रसंज्ञान के बिन्दुओं पर सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि केस डायरी में साक्षीगण तथा पत्रावली में उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के परिशीलन किये जाने के पश्चात प्रथम दृष्टया उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण 1. अंकित उर्फ डग्गी राजा(गैंग लीडर), 2. प्रभान(गैंग सदस्य) का एक सक्रिय गैंग है, और उनके द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के उद्देश्य से मारपीट एवं लूट जैसे जघन्य अपराध में लिप्त रहते हुए समाज विरोधी क्रिया-कलाप अपने आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ हेतु आम-जनमानस में भय व आतंक का माहौल व्याप्त करना पाये जाने पर उनके विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि० के अन्तर्गत अपराध का प्रसंज्ञान लिये जाने के पर्याप्त आधार हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण 1. अंकित उर्फ डग्गी राजा(गैंग लीडर), 2. प्रभान(गैंग सदस्य) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि० के तहत प्रसंज्ञान लिया जाता है। पत्रावली वास्ते अभियुक्तगण उपस्थिति हेतु नियत दिनांक 27.01.2026 को पेश हो।

दिनांक 12.01.2026

(सुनील सिंह)
अपर जिला एवं सत्र/
विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट)
ललितपुर।

Digitally signed by SUNIL SINGH
Date: 2026.01.13 12:16:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court